देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

प्रेस–विज्ञप्ति

आज दिनांक 27/07/2019 को माननीय कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों, प्रवेश प्रकोष्ठ के सदस्यों एवं कुलसचिव डॉ अनिल शर्मा के साथ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में माननीय कुलपति जी के संज्ञान में यह लाया गया कि सीईटी–2019 के संचालन हेतु पूर्ण रूप से वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए NYSA कंपनी को अनुबंधित किया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश कंपनी सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने में असफल रही जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके एवं जिन्होंने परीक्षा दी उन्हे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा ।

बैठक में यह विचार किया गया कि आगामी अकादमिक सत्र प्रारंभ होने में समय बहुत कम है तथा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश की प्रक्रिया विद्यार्थियों के व्यापक हित में पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इन विशिष्ट परिस्थितियों में समय की कमी के कारण पुनः प्रवेश परीक्षा आयोजित करना भी सम्भव नहीं है। अतः केवल इस वर्ष विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा उत्तीर्ण अहर्ताकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग कर प्रवेश देने की अनुशंसा की गयी साथ ही यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष सीईटी–2020 की परीक्षा ऑनलाईन आयोजित कराने के लिए समय रहते प्रक्रिया सुनिशिचित की जाये।

उल्लेखनीय है की इस विषय में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, म.प्र. से विधिक सलाह भी दिनांक 14/07/2019 को प्राप्त हो चुकी है। विधिक सलाह में सी.ई.टी. की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा निरस्त करने एवं अहर्ताकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग करने की सलाह दी गयी है।

अतः सी.ई.टी. की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा को निरस्त करने एवं उन विद्यार्थियों को जिन्होने सीईटी–2019 के लिए आवेदन किया था उन्हे अहर्ताकारी परीक्षा अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया । ग्रुप 'ए–1', 'ए–2' 'बी–1' एवं 'बी–2' समूहों में काउंसिलिंग हेतु पंजीयन की प्रक्रिया को भी मान्य किया गया।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि चूंकि प्रवेश परीक्षा के सम्पन्न न होने के कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है एवं 17 हजार विद्यार्थियों का भविष्य भी संकट में आ गया है अतः विश्वविद्यालय परीक्षा संचालित कराने के लिए अनुबंधित कंपनी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा।

डॉ. चन्दन गुप्ता
मीडिया प्रभारी